दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम

जी हाँ–सरकारी राशन की दुकानों में कुछ चयनित व्यक्तियों के लिए अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि सरकार द्वारा भेजा जाता है। आपके नाम का आया अनाज और अन्य वस्तुएं आपको न मिलके, काले बाज़ार में पहुँच रही हैं...वह कैसे? स्टॉक और वितरण रजिस्टरों में फर्ज़ी नाम और आंकड़े भर के, नकली रसीदें बना कर वितरण दिखाना...कम देना, किताब में ज़्यादा भरना...

जम्मू ऐण्ड कश्मीर राईट् टू इनफॉर्मेशन ऐक्ट 2009 के अनुसार, आप इसके बारे में सारी जानकारी अपनी राशन दुकान से ले सकते हैं– जैसेः स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, रसीद किताब, इत्यादि का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उनकी **प्रतियाँ** भी मांग सकते हैं। इन दस्तावेज़ों के आधार पर आप अधिकारियों को शिकायत भी कर सकते हैं।

जम्मू ऐण्ड कश्मीर राईट् टू इनफॉर्मेशन ऐक्ट 2009 के अंतर्गत :

जानकारी लेने के लिए आप :

- जानकारी लिखित में मांग सकते हैं {धारा 6(1)}
- दस्तावेज़ों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं {धारा 2(i)}

कैसे :

- हर सरकारी दफ़्तर में PIO **(पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफ़सर)** नियुक्त हैं {धारा 5(1)}
- PIO को लिखित अर्ज़ी सामान्य शुल्क के साथ देना होगा। अर्ज़ी की प्राप्ति रसीद मिलेगी {धारा 6(1)}
- सामान्य जानकारी 30 दिनों के अन्दर मिल जानी चाहिए {धारा 7(1)}
- जानकारी पाने के लिये (फोटोकॉपी, सत्यापित नकल, दस्तावेज़ों का इंस्पेक्शन इत्यादि) अतिरिक्त शुल्क देना होगा {धारा 7(3)}
- गरीबी रेखा के नीचे आनेवाले आवेदक को कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है {धारा 7(5)}

जानकारी न मिले या गलत मिले तो आप :

- प्रथम अपील संबंधित विभाग के अपील अधिकारी (फ़र्स्ट एपिलेट अथॉरिटी) को भेजें {धारा 16(1)}
- फिर भी जानकारी न मिले तो जम्मू और कश्मीर इन्फॉर्मेशन कमिशन को अपील भेजें {धारा 16(4)}
- यदि PIO आप से आवेदन लेने से इनकार करें या 30 दिनों में कोई जवाब न दें, तो शिकायत सीधा जम्मू और कश्मीर इन्फॉर्मेशन कमिशन को भेजें {धारा 15(1)}
- PIO बिना वैध कारण अर्ज़ी लेने से इनकार करें, समय पर जानकारी न दें, जानबूझकर गलत, अधूरी या गुमराह करनेवाली जानकारी दें या मांगी गई जानकारी को नष्ट करें, तो उस PIO पर इन्फॉर्मेशन कमिशन रु. 250 से रु. 25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है {धारा 17}

कई जानकारियाँ नोटिस बोर्ड इत्यादि के माध्यम से सरकारी दफ़्तर द्वारा स्वयं बतायी जानी चाहिए {धारा (4)(1)(b)}

कॉमन्वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, सर्वोदय एनक्लेव, द्वितीय तल, नई दिल्ली–110 017
दूरभाषः 011–43180200/211, फैक्सः 011–26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

स्थानीय संपर्क–
KNOW R.T.I — NO CORRUPTION
Sangarsh RTI MOVEMENT IN JK
श्री बलविंदर सिंह
श्री रमण शर्मा
Hall No. 301, A2 South Block, Bahu Plaza, Jammu
दूरभाषः +91–9419195295, 9796811012
ईमेलः jkrtiact@gmail.com, balirti_social@yahoo.com

जानकारी का अधिकार – जीने का अधिकार जानकारी लेना हमारा मौलिक अधिकार – जानकारी देने के लिए सरकार ज़िम्मेदार